झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

विषयः- *माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा एल.पी.ए. संख्या-186/2017 एवं अन्य विभिन्न वादों में पारित न्यायनिदेश को लागू करने हेतु सिद्धांतों का निरूपण।*

राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों यथा वर्ग 1 एवं 5 (सामान्य एवं उर्दू) तथा वर्ग 6-8 के सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 (यथा संशोधित 2014, [अधिसूचना संख्या-2102, दिनांक 22.10.2014] एवं 2015, [अधिसूचना संख्या-1388, दिनांक 22.06.2015]) के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में राज्य के सभी जिलों द्वारा अलग-अलग विज्ञापन प्रकाशित किया गया। यह राज्य द्वारा तैयार मानक विज्ञापन (शर्तों में एकरूपता) के अनुरूप किया गया। इसके साथ-साथ विज्ञापन प्रकाशन तथा अन्य बिन्दुओं को विभागीय पत्रांक-1192, दिनांक 02.06.2015 एवं पत्रांक-1180, दिनांक 29.05.2015 द्वारा निर्देश सभी उपायुक्तों को निर्गत किया गया।

2. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 के कंडिका-2 (i) के अनुसार प्रारंभिक विद्यालय के रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पद झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत ऐसे अहर्ताधारी पारा शिक्षक, जिनकी सेवा उस पंचाग वर्ष, जिसमें नियुक्ति हेतु विज्ञाप्ति प्रकाशित की जायेगी, की पहली अगस्त को न्यूनतम दो वर्ष या उससे अधिक की हो, में से तथा शेष 50 प्रतिशत पद गैर-पारा शिक्षक अहर्ताधारी अभ्यर्थियों में से जिला स्तरीय पदों एवं सेवाओं के विरूद्ध नियुक्ति हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

(i) उपरोक्त के अनुसार पारा शिक्षकों को पारा कोटि के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए एवं सामान्य प्रशिक्षण (झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा

संचालित सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रशिक्षण उत्तीर्ण को छोड़ कर) वाले अभ्यर्थियों को गैर-पारा के लिए आरक्षित सीट पर आवेदन किया जाना था।

(ii) कालांतर में विभाग द्वारा वैसे पारा शिक्षक जो कि विज्ञापन प्रकाशित होने के पूर्व पारा शिक्षक के पद से त्यागपत्र दे दिये थे, को भी गैर-पारा श्रेणी में आवेदन करने की छूट प्रदान की गई अर्थात झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत ऐसे अहर्ताधारी पारा शिक्षक की योग्यता के आधार पर भी गैर-पारा के पद पर आवेदन देने की सुविधा प्रदान की गई, जिसके आधार पर नियुक्ति भी की गई है।

3. (i) राज्य के प्रत्येक जिला में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत ऐसे अहर्ताधारी पारा शिक्षकों द्वारा विहित कॉलम में वांछित प्रविष्टि नहीं करते हुए गैर-पारा के लिए आरक्षित पदों के लिए आवेदन किया गया।

(ii) अधिकांश जिला में ऐसे आवेदकों को कांउसिलिंग में शामिल नहीं किया गया।

(iii) कतिपय जिलों में कांउसिलिंग में शामिल हुए, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया है।

(iv) कुछ जिलों में पारा श्रेणी (कंडिका-2(i) एवं (ii)) के शर्तो के विरूद्ध नियुक्ति की गई। लेकिन कतिपय न्यायादेश (डब्लू.पी.(एस.) संख्या-178/2016, 5966/2015, 6064/2015, 6077/2015 एवं 1953/2016) इत्यादि के क्रम में कंडिका-3(i) में उत्पन्न स्थिति के कारण यथा कालांतर में सेवा से हटा दिया।

4. (i) कांउसिलिंग एवं चयन से वंचित तथा गलत सूचना के आधार पर चयनित/नियुक्त एवं सत्यापन के क्रम में सेवामुक्त/चयनमुक्त अभ्यर्थियों/शिक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, राँची में विभिन्न वाद दायर किये गये।

(ii) न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायादेश (डब्लू.पी.(एस.) संख्या 19/2016, 668/2016, 991/2016 एवं 4712/2018 तथा एल.पी.ए. संख्या 128/2018, 156/2018, 168/2017, 169/2018, 171/2017, 173/2018, 186/2017, 186/2018, 194/2018, 199/2017, 201/2017, 205/2017, 212/2018, 215/2018, 347/2018, 363/2018 एवं 400/2018) में आदेश पारित किया गया तथा न्यायादेश के अनुपालन हेतु अनेक अवमाननावाद दायर किये गये।

(iii) न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक 203, दिनांक 29.01.19 के द्वारा पुनः कांउसिलिंग आयोजित करने हेतु सभी जिलों को आवश्यक तैयारी करने हेतु दिशानिर्देश जारी किया गया है।

5. विभागीय संलेख ज्ञापांक 13/मु.1-147/2018-580 दिनांक 11.04.19 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा प्राप्त अनुमोदन के अनुसार उपरोक्त कंडिका-4(ii) के सभी वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय-निदेश के अनुपालन हेतु निम्न निर्णय लिया गया है-

(i) न्यायादेश के आलोक में झारखण्ड प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 (यथा संशोधित 2014, 2015 एवं 2019) के प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया जाय।

(ii) वर्ष 2015-16 में विज्ञापित रिक्तियों के विरूद्ध की गई नियुक्ति के पश्चात् शेष रह गये पारा एवं गैर पारा कोटि के रिक्त पदों पर कांउसिलिंग आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी को किसी एक ही कोटि के पदों पर कांउसिलिंग में भाग लेने का निर्णय लेना होगा।

6. कांउसिलिंग निम्नांकित शर्तो के अधीन आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है:-

a) यह कांउसिलिंग माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निदेश के आधार पर वर्ष 2015-16 के समव्यवहार (Transaction) के अधीन ही हो रहा है, परन्तु अब तक की

गई नियुक्ति के लिए तैयार मेधा सूची में परिवर्तन नहीं किया जायेगा अर्थात पूर्व के नियुक्ति का Cut-off प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

b) प्रस्तावित कांउसिलिंग पूर्व के समव्यवहार का ही उप समव्यवहार माना जायेगा। इसके लिए पुनः आवेदन-पत्र आमंत्रित नहीं किया जायेगा। पूर्व के निर्धारित शर्तों के अधीन पूर्व से आवेदन समर्पित अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं।

c) वर्त्तमान चयन में (न्यायादेश के आलोक में आयोजित कांउसिलिंग के बाद) अधिक प्राप्तांक के आधार पर वर्ष 2015-16 के मेधा सूची को संशोधित नहीं किया जायेगा। इसके लिए किसी नव-चयनित आवेदक के वरीयता का दावा मान्य नहीं होगा। वर्त्तमान चयनित/नियुक्त शिक्षक वर्त्तमान की वरीयता के अनुसार पूर्व में नियुक्त शिक्षक के नीचे होंगे। इस आयोजित अंतिम कांउसिलिंग के क्रम में नियुक्त अभ्यर्थी का नियुक्ति वर्ष 2019 ही माना जायेगा।

d) इस चरण के नियुक्त शिक्षकों को एक ही समव्यवहार के कारण पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समान वरीयता एवं वेतनमान देय नहीं होगा। उप समव्यवहार में चयनित अभ्यर्थी इसका मांग नहीं कर सकते है।

e) (i) पूर्व में आयोजित सभी कांउसिलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थी (चाहे कांउसिलिंग में भाग लिया या नहीं) को संबंधित जिला में पुनः कांउसिलिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया जायेगा।

(ii) न्यायालय में याचिका दायर कर पारित न्यायादेश से आच्छादित अभ्यर्थियों को कांउसिलिंग में शामिल किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी पूर्व में आमंत्रित रहे हों, तभी न्यायादेश के आलोक में भाग लेने के लिए अंतिम अवसर के रूप में आमंत्रित किया जाय।

(iii) राज्य के किसी भी जिला में अंतिम रूप से चयनित होने एवं चयन के उपरांत योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः कांउसिलिंग में भाग लेने की अनुमति देय नहीं होगी।

(iv) पुनः कांउसिलिंग में भाग लेने के क्रम में न्यायालय से अच्छादित मामलों के अभ्यर्थियों को न्यायादेश की प्रति भी अपने अन्य आवश्यक अभिलेखों/कागजातों के साथ देना होगा।

(v) न्यायादेश से अच्छादित अभ्यर्थी बिना आमंत्रण भी विशेष रूप से जिस जिले के अभ्यर्थी रहे हैं अपना आवेदन देने के लिए स्वतंत्र रहेगें।

f) उम्र सीमा एवं शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता तथा वेतनमान के संबंध में अहर्ता और शर्तें एवं बंधेज पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप ही होगा। उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। पूर्व विज्ञापन में प्रकाशित सभी कॉट-ऑफ-डेट को ही न्यूनतम अहर्ता हेतु प्रभावी तिथि माना जायेगा।

g) (i) पूरे राज्य में एक ही दिन कांउसिलिंग हेतु अभिलेख इत्यादि प्राप्त किया जायेगा। अभिलेख मात्र निर्धारित एवं पूर्व संसूचित तिथि तक ही प्राप्त किया जायेगा। कांउसिलिंग की तिथि निर्धारित करने की शक्ति निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को होगी।

(ii) पूरे राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित नहीं हुए उनके मूल अभिलेख वापस करने की तिथि की पूर्व सूचना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(iii) कांउसिलिंग की प्रक्रिया निर्धारित कांउसिलिंग की तिथि को प्राप्त आवेदन/डाक्यूमेंटस के आलोक में एक से ज्यादा दिन आंतरिक रूप से अभिलेख सत्यापन हेतु चल सकती है। अभिलेख सत्यापन के क्रम में अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार कभी भी आमंत्रित कर सकेगा। यह आमंत्रण संबंधित अभ्यर्थी को वाट्सअप/एस.एम.एस/ई-मेल पर दिया जा सकेगा। यद्यपि प्राप्त आवेदन/डाक्यूमेंटस के आधार पर अन्य तिथियों को उपस्थिति की पूर्व सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दे दी जायेगी।

(iv) वास्तविक नियुक्ति की तिथि को अगर उम्र सीमा निर्धारित मानक से ज्यादा होगी, तो उसको शिथिल करने का अधिकार उपायुक्त को मात्र इस विशेष मामले में प्रदान किया जाता है।

(v) सेवानिवृति की तिथि सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन रहेगी।

7. (i) यह अंतिम अवसर कांउसिलिंग का एक बार अंतिम रूप से न्यायादेश के अनुपालन में दिया जा रहा है। मूल प्रमाण-पत्र जमा करने का भी यह अंतिम अवसर होगा। कोई अन्य अवसर देय नहीं होगा।

(ii) कांउसिलिंग संबंधित जिले की अवशेष रिक्त पदों के विरूद्ध की जायेगी।

(iii) कांउसिलिंग की आम सूचना कम से कम दो समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित को दी जायेगी।

(iv) पूर्व श्रेणीवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी के मेधा क्रमांक के बाद रिक्त पदों की श्रेणीवार गणना की जायेगी।

(v) श्रेणीवार निर्धारित रिक्त पद कंडिका-7 (iv) के विरूद्ध रिक्त पदों के दो गुना तक अचयनित अभ्यर्थी की सूची मेधा क्रमांक वार तैयार कर पोर्टल (website) पर संधारित किया जायेगा।

(vi) समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना में पोर्टल का Address भी अंकित होगा, जिस पर कंडिका-7 की सूचना प्रकाशित है।

(vii) ऐसे अभ्यर्थी जो कंडिका-6 एवं 7 के शर्तों के तहत "consideration Zone" में आते है, उनका ब्यौरा भी पोर्टल पर अद्यतन अंकित रहेगा।

(viii) जिला शिक्षा स्थापना समिति उक्त सूची के सही संधारण हेतु पूर्णतः जिम्मेवार होगी।

8. कतिपय पारा शिक्षक जो गैर-पारा कोटि में चयनित/नियुक्त/चयनमुक्त हुए थे। विभिन्न न्यायनिर्णय के आलोक में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा पत्रांक-397, दिनांक 11.03.2019 द्वारा निर्देश निर्गत है। नई एवं अंतिम कांउसिलिंग के पूर्व इसका निदान/निष्पादन किया जाय। सभी आदेश में अंकित कर दिया जाय कि इनका अभ्यर्थित्व एल.पी.ए. के न्यायनिर्णय के फलाफल पर आधारित होगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 13/मु.1–147/2018...../ राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखंड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त राजपत्र की 200 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 13/मु.1–147/2018...662.../ राँची, दिनांक...02/05/19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखंड सरकार/अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, रांची/विभागीय सभी निदेशक/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, झारखंड/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखंड/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/05/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।